

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर

पत्रांक 3564 /14-1 दिनोंक कानपुर, जून 6 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल कानपुर

विषय:-

कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0 रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिठूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु 06.011 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 88/UP/06/19/2017 /FC/CAMP/140317/131dated 14-03-2017, इस कार्यालय की पत्र संख्या- 3220/14-1 दिनांक 08.05.2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार बिन्दुवार कर संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियां संलग्नकर पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

SNO	Observation of GOI	Remarks
1	The kml file of diverted forest land has not been provided in CD. The uploaded kml file for diverted forest land shows multiple polygons and few are overlapping over each other which need correction.	याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की संशोधित kml file अपलोड करते हुए, संशोधित CD संलग्न कर दी गयी है।
2	The geo referenced map uploaded for proposed forest land diversion lacks geo coordinates of all key points.	प्रस्तावित वन भूमि के geo referenced map को संशोधित कर याचक विभाग द्वारा key points पर geo coordinates अंकित कर दिये गये हैं।
3	(a) The land schedule showing calculation regarding requirement of forest land does not match with the uploaded kml files. (b) The land schedule does not provide details regarding remaining right of way.	याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का आगमन तथा kml file संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है।
4	The linear strip plan pf the proposal does not match with the shapes of polygons uploaded with the proposal.	याचक विभाग द्वारा संशोधित land schedule संलग्न कर दिया गया है।
5	The uploaded forestland gazette notification is not legible.	याचक विभाग द्वारा संशोधित linear strip plan संलग्न कर दिया गया है।
6	As per GIS DSS analysis the total area of Compensatory Afforestation site is 11.67 ha which is less than stipulated amount of compensatory afforestation as per provisions contained in Handbook of FCA 1980.	legible forestland gazette notification संलग्न कर दिया गया है।
7	The compensatory afforestation estimate does not account for enhancement of cost due to inflation.	प्रस्तावित क्षेत्रफल के दोगुने क्षेत्रफल में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु FCA 1980 के अनुसार आवश्यक धनराशि का प्राविधान किया गया है।
8	As per the kml file uploaded for compensatory afforestation, there are few patches where agriculture activity is visible. It would be pertinent to ascertain whether these patches are free from encumbrance/encroachment or not.	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु लागत में वृद्धि के अनुसार अनुवर्ती वृद्धि कर संशोधित योजना संलग्न कर दी गयी है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय
Murali
(एस0एस0श्रीवास्तव)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक / समादिनांकित।

प्रतिलिपि- श्री एम0के0 मिश्रा, अधिशाषी अभियन्ता कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर को उनके पत्र दिनांक 06.06.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0एस0श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

dfokanpur@yahoo.co.in

letter rajat June 2017